उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ – 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD
(U.P. Govt. Undertaking)
14-ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065

संख्या – 19 / उनिलि / रिफॉर्म / जनशक्तिः159–58 / 2014 दिनांक 24 / 02 / 2015

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल की दिनाँक 08 अगस्त 2014 को संपन्न हुयी 159वीं बैठक में लिये गये निर्णय की अनुसारिता में निदेशक (तकनीकी) तथा निदेशक (परियोजना एवं वाणिज्य) के कर्तव्य, दायित्व एवं प्रशासनिक क्षेत्राधिकार निम्नवत् निर्धारित किये जाते है :–

निदेशक (तकनीकी) के कर्तव्य, दायित्व एवं प्रशासनिक क्षेत्राधिकार

अ– कर्तव्य एवं दायित्वः

(1) वार्षिक उत्पादन योजना व बजट तैयार करना।
(2) कमीशन्ड इकाईयों का नियामक आयोग के मापदण्डों के अन्तर्गत इष्टतम एवं इकनामिक संचालन।
(3) ताप विद्युत गृहों हेतु वैधानिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं का प्रबन्धन।
(4) पुरानी इकाईयों के रिनोवेशन एवं मॉडर्नाइजेशन / रिफर्बिशमेंट योजनाएं तैयार करना। उनकी स्वीकृति प्राप्तकर उनके लिए वित्त प्रबन्धन, उनका क्रियान्वयन व अनुश्रवण कार्य।
(5) आर0एल0ए0 कराने के पश्चात रिफर्बिशमेंट के संबंध में निर्णय कराना।
(6) नवनिर्मित व उत्पादनरत इकाईयों हेतु ईंधन उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
(7) ईंधन सप्लाई व ट्रांसपोर्ट प्रबन्धन।
(8) प्राप्त ईंधन संबंधी बिल वेरिफिकेशन, रिकंसिलेशन एवं डेमरेज कंट्रोल का कार्य।
(9) वर्तमान स्थापित परियोजनाओं हेतु पर्यावरण सुधार योजनाओं को तैयार करना, उनका–वित्त प्रबन्धन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।
(10) अन्य विभागों के साथ सामंजस्य का कार्य।
(11) प्रबन्ध निदेशक महोदय / अध्यक्ष महोदय द्वारा समय–समय पर प्रदत अन्य कार्य, यदि कोई हो।

ब– प्रशासनिक क्षेत्राधिकारः

कारपोरेट स्तर पर –

1. परियोजना परिकल्पन, अनुश्रवण एवं प्रबन्धन इकाई (विद्युत / यांत्रिकी / जानपदीय) द्वारा वर्तमान स्थापित इकाइयों हेतु किये जा रहे कार्य एवं भविष्य में नयी इकाइयों के कामर्शियल भार पर आने के उपरान्त किये जाने वाले कार्य।

2. पर्यावरण एवं सुरक्षा इकाई द्वारा वर्तमान स्थापित इकाइयों हेतु किये जा रहे कार्य एवं भविष्य में नयी इकाइयों के कामर्शियल भार पर आने के उपरान्त किये जाने वाले कार्य।
3. आर0एण्ड एम0 इकाई, लखनऊ।
4. ईंधन इकाई, लखनऊ।
5. तापीय परिचालन इकाई, लखनऊ।

ताप विद्युत गृह स्तर पर –

वह सभी इकाईयां जो वाणिज्यिक रूप से कमीशन हो गई हैं।

निदेशक (परियोजना एवं वाणिज्य) के कर्तव्य, दायित्व एवं प्रशासनिक क्षेत्राधिकार

अ– कर्तव्य एवं दायित्वः

(1) नई उत्पादन इकाईयों की स्थापना हेतु आवश्यकता का निर्धारण।

(2) नई feasible इकाईयों की स्थापना का संकल्पन, साइट निर्धारण व सर्वे।

(3) नव निर्माण हेतु संयुक्त उपक्रमों का संकल्पन एवं इस कार्य हेतु अनुबन्ध प्रबन्धन। संयुक्त उपक्रम में निगम हित संरक्षा हेतु निगरानी का कार्य।

(4) आवंटित एवं नये कोल ब्लॉक्स के विकास एवं संयुक्त उपक्रमों का संकल्पन एवं प्रबन्धन।

(5) नई परियोजनाओं के निर्माण कार्य हेतु –

- भारत सरकार व उ0प्र0 शासन से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना।
- डी0पी0आर0 तैयार कर सभी वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करना।
- वित्त प्रबन्धन।
- नियामक आयोग का अनुमोदन प्राप्त करना।
- निर्माण हेतु परामर्शदाता एवं वेण्डरों का चयन।
- परिकल्पन, निर्माण, क्वाल्टी एश्योरेंस व कमीशनिंग एवं अनुश्रवण का कार्य।

(6) नई इकाईयों का पर्यावरण अनुश्रवण कार्य।

(7) समस्त स्थापित इकाईयों एवं भविष्य में प्रस्तावित इकाईयों हेतु नियामक आयोग के समक्ष टेरिफ व ए0आर0आर0 प्रस्तुत करना।

(8) नियामक आयोग द्वारा निर्धारित बेंचमार्कों/मानकों के अनुपालन की मॉनीटरिंग एवं समयानुसार तकनीकी इकाई को रिपोर्टिंग।

(9) स्वीकृत टेरिफ के अनुसार बिल बनाना व उसकी वसूली का कार्य।

(10) निगम हेतु नयी परियोजनाओं संबंधित दीर्घकालीन/वार्षिक योजना व बजट तैयार करना व उनकी मॉनीटरिंग।

(11) अन्य विभागों के साथ सामंजस्य का कार्य।

(12) प्रबन्ध निदेशक महोदय/अध्यक्ष महोदय द्वारा समय–समय पर प्रदत अन्य कार्य, यदि कोई हो।

ब– प्रशासनिक क्षेत्राधिकार :

कारपोरेट स्तर पर –

1. परियोजना परिकल्पन, अनुश्रवण एवं प्रबन्धन इकाई (विद्युत/यांत्रिकी/जानपदीय) द्वारा नयी परियोजनाओं हेतु किये जा रहे कार्य।
2. पर्यावरण एवं सुरक्षा इकाई द्वारा नयी परियोजनाओं हेतु किये जा रहे कार्य।
3. वाणिज्य इकाई, लखनऊ।

ताप विद्युत गृह स्तर पर –

सभी नई इकाईयों के निर्माण का कार्य, वाणिज्यिक कमीशनिंग तक।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांक: 19 –उनिलि/रिफॉर्म/जनशक्ति:159–58/2014 तद्दिनाँक ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक महोदय के निजी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (कार्मिक/वित्त/तकनीकी/परियोजना एवं वाणिज्य), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ, के निजी सचिव।
4. मुख्य अभियन्ता (स्तर–I एवं II), अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, सोनभद्र, सोनभद्र, झाँसी, कानपुर, अलीगढ़।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर–I एवं II), मा0सं0/पीपीएमएम/वाणिज्य/ईंधन/तापीय परिचालन/आर0एण्ड0एम0/जानपद/पर्यावरण एवं सुरक्षा, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक (लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. कंपनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ (निदेशक मण्डल की 08 अगस्त 2014 को संपन्न हुयी 159वीं बैठक के एजेण्डा आईटम –58 के संदर्भ में)
10. उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0 1/2/3/4/5/प्रशिक्षण इकाई/संसदीय कार्य इकाई/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. अधीक्षण अभियन्ता (रिफॉर्म), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति) टी0 सी0–46/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. कट फाइल।

24/2/2015

(सुनील कुमार विद्यार्थी)

मुख्य अभियन्ता (मा0सं0)